



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

कमांक एफ 2( )परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पदस्था/APO/2018/पार्ट-4/ 6 जयपुर दिनांक 3/1/2021

**—:आदेश:—**

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. स.	नाम अधिकारी सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	कहां से (पंचायत समिति)	कहां को (पंचायत समिति)	विशेष विवरण
1	मोहित दवे	झालरापाटन(झालावाड़)	मण्डोर (जोधपुर)	श्री विक्रम सिंह के स्थान पर
2	विक्रम सिंह	मण्डोर (जोधपुर)	गडरारोड (बाडमेर)	रिक्त पद पर
3	चांगदेव सोपान कामठे	सेखाला (जोधपुर)	आनन्दपुरी(बांसवाडा)	श्री कैलाश कुमार के स्थान पर
4	कैलाश कुमार	आनन्दपुरी(बांसवाडा)	सेखाला (जोधपुर)	श्री चांगदेव सोपान कामठे के स्थान पर
5	आरती गुप्ता	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज	नयागांव (उदयपुर)	रिक्त पद पर

आदेश में वर्णित उपरोक्त अधिकारी प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित पदस्थापित स्थान से अविलम्ब कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति आदेशानुसार नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(विजय पाल सिंह)

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (एल.टी.) मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
7. जिला कलक्टर, संबंधित।
8. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
10. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
11. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)